''ज्येष्ठता सूची''

उत्तर प्रदेश शासन
चीनी उद्योग अनुभाग-3
संख्या-11/2018/ 1175/46-3-18-28(09)/2018
लखनऊ: दिनांक 06 सितम्बर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश गन्ना (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 1979 (यथासंशोधित) के अधीन उत्तर प्रदेश गन्ना (राजपत्रित) सेवा श्रेणी-2 के अन्तर्गत सम्भागीय विख्यापन अधिकारी का पद भी है, जो शत-प्रतिशत सीधी भर्ती का पद है एवं उस पर साक्षात्कार के आधार पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन किया जाता है। वर्तमान में विभाग में नियुक्त/कार्यरत सम्भागीय विख्यापन अधिकारियों की कोई ज्येष्ठता सूची अस्तित्व में न होने के दृष्टिगत, सम्भागीय विख्यापन अधिकारी संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। वर्तमान में विभाग में सम्भागीय विख्यापन अधिकारी के 05 पद स्वीकृत है, जिन पर सम्भागीय विख्यापन अधिकारी नियुक्त/कार्यरत हैं।

2- उत्तर प्रदेश गन्ना (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 1979 (यथासंशोधित) के नियम-23 में यह प्राविधानित है कि सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी। कार्मिक विभाग की अध्यारोही प्रभाव वाली उक्त, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-5 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार, ऐसे पदों जिन पर केवल सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं, की ज्येष्ठता किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो यथास्थिति, आयोग या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में दिखायी गयी हो तथा पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्ति, पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्तियों से कनिष्ठ होंगे। उक्त ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-9 के अनुसार किसी भी सेवा संवर्ग में कार्यरत कार्मिकों की पारस्परिक जयेष्ठता निर्धारण किये जाने से पूर्व अनन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित कर व उसके विरूद्ध आपत्तियां आमंत्रित करके एवं आपत्तियों का नियमोचित निस्तारण करते हुए ज्येष्ठता सूची को अन्तिम रूप से प्रकाशित किये जाने की व्यवस्था है। अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरूद्ध आपत्ति/प्रत्यावेदन दिये जाने हेतु न्यूनतम् एक सप्ताह का समय दिये जाने के सामान्य निर्देश हैं।

3- उपरोक्त के क्रम में उत्तर प्रदेश गन्ना (राजपत्रित) सेवा श्रेणी-2 के अन्तर्गत आने वाले-सम्भागीय विख्यापन अधिकारियों की ज्येष्ठता निर्धारण को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-9 के प्राविधानों के अन्तर्गत, शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-730/46-3-18-28(9)/2018, दिनांक 24 मई, 2018 द्वारा ''अनन्तिम ज्येष्ठता सूची'' संलग्न कर गन्ना आयुक्त के माध्यम से परिचालित कराते हुए, यह निर्देश दिये गये थे कि संलग्न ''अनन्तिम ज्येष्ठता सूची'' को समस्त सम्भागीय विख्यापन अधिकारियों में इस आशय से परिचालित करा दें कि प्रश्नगत ''अनन्तिम ज्येष्ठता सूची'' में किसी तथ्य के प्रतिकूल होने की स्थिति में, परिचालन की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपनी आपत्ति/अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

4- उक्त **''अनन्तिम ज्येष्ठता सूची''** में प्रस्तावित ज्येष्ठता क्रम निम्नवत् था:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी (सम्भागीय विख्यापन अधिकारी)	जन्म तिथि	गृह जनपद	नियुक्ति आदेश की तिथि	कार्यभार ग्रहण की तिथि	भर्ती का स्रोत	स्थाई/ अस्थाई
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह	29.05.1963	कानपुर	11.08.1994	01.09.1994	सीधी भर्ती	अस्थाई
2	डा.बृज किशोर गोयल	30.03.1974	देवरिया	15.01.2008	12.10.2009	सीधी भर्ती	स्थायी
3	श्री राघवेन्द्र पाण्डेय	20.11.1988	चन्दौली	11.11.2014	18.11.2014	सीधी भर्ती	अस्थाई
4	श्री उपेन्द्र सिंह	06.11.1983	कौशाम्बी	11.11.2014	20.11.2014	सीधी भर्ती	अस्थाई
5	श्री गौरव कुमार	04.03.1982	गाजियाबाद	27.02.2018	13.03.2018	सीधी भर्ती	अस्थाई

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उपर्युक्तानुसार प्रख्यापित की गयी **''अनन्तिम ज्येष्ठता सूची''** के विरूद्ध विभाग में कार्यरत अधिकारियों के द्वारा व्यक्तिगत सूचना के सम्बन्ध में तथा प्रस्तावित ज्येष्ठता क्रम के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के सम्बन्ध में लिखित अनापत्ति/सहमति दिये जाने की सूचना, गन्ना आयुक्त, उ.प्र. के पत्र संख्या-1069/01-राज./ज्ये.सूची, दिनांक 26.06.2018 के माध्यम से शासन को प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त ''अनन्तिम ज्येष्ठता सूची'' व उसमें निर्धारित ज्येष्ठता क्रम से विभाग में कार्यरत सम्भागीय विख्यापन अधिकारी सहमत/संतुष्ट हैं।

6- अतः उपरोक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त, गन्ना विभाग में कार्यरत उत्तर प्रदेश गन्ना (राजपत्रित) सेवा श्रेणी-2 संवर्ग में कार्यरत ''सम्भागीय विख्यापन अधिकारियों'' की पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित करते हुए, एतद्द्वारा निम्नानुसार **''अन्तिम ज्येष्ठता सूची''** निर्गत की जाती है:-

गन्ना विकास विभाग में उत्तर प्रदेश गन्ना (राजपत्रित) सेवा श्रेणी-2 के अन्तर्गत नियुक्त/ कार्यरत सम्भागीय विख्यापन अधिकारियों की ''ज्येष्ठता सूची''

क्र. सं.	नाम अधिकारी (सम्भागीय विख्यापन अधिकारी)	जन्म तिथि	गृह जनपद	नियुक्ति आदेश की तिथि	कार्यभार ग्रहण की तिथि	भर्ती का स्रोत	स्थाई/ अस्थाई
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह	29.05.1963	कानपुर	11.08.1994	01.09.1994	सीधी भर्ती	अस्थाई
2	डा.बृज किशोर गोयल	30.03.1974	देवरिया	15.01.2008	12.10.2009	सीधी भर्ती	स्थायी
3	श्री राघवेन्द्र पाण्डेय	20.11.1988	चन्दौली	11.11.2014	18.11.2014	सीधी भर्ती	अस्थाई
4	श्री उपेन्द्र सिंह	06.11.1983	कौशाम्बी	11.11.2014	20.11.2014	सीधी भर्ती	अस्थाई
5	श्री गौरव कुमार	04.03.1982	गाजियाबाद	27.02.2018	13.03.2018	सीधी भर्ती	अस्थाई

7- उपर्युक्त ज्येष्ठता सूची के विरूद्ध अब नियमानुसार कोई प्रत्यावेदन ग्राह्य/विचारणीय नहीं होगा।

संजय आर. भूसरेड्डी
प्रमुख सचिव।

संख्या-11/2018/1175(1)/46-3-18-28(09)/2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश सहित प्रेषित कि कृपया उक्त **''ज्येष्ठता सूची''** को विभाग में कार्यरत समस्त सम्भागीय विख्यापन अधिकारियों को सूचनार्थ परिचालित कराने का कष्ट करें।
2. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागीय सम्भागीय विख्यापन अधिकारी। (द्वारा-गन्ना आयुक्त, उ.प्र.)
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नरेश बहादुर
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in